वकुलाय उप० शेष अप्रार्थी सं. 26 की तामील हेतु आवश्यक [illegible] उ रजि. नोटिस तकवाब पेश हो। पत्रावली दिनांक 10/7/2024 को पेश हो।

10/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O
सा. तौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23/7/24 को पेश हो।

23/7/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 6/8/24 को पेश हो।

मुकदमा नम्बर– 149 / 2022
विष्णु कुमार बनाम अर्जुनलाल वगै0

1/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों ने बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है, जिसमें प्राथमिक डिकी जारी हो चुकी है। उभय पक्षकारान को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पावन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्र्फम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 23.03.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्र्फम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम होकर मूल वाद के सलंग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(... सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.04.22 16:49:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner